

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

गैर-रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2020 हेतु मान्य)

मैं पिता/पति का नाम

वार्ड संख्या ग्राम.....

पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद्

प्रखण्ड ज़िला

घोषणा करता/करती हूँ कि

मैंने अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर खरीफ वर्ष 2020 में फसल/फसलों की बुआई की है। बुआई अंतर्गत फसल की भूमि का रकवा निम्न है :-

क्रम संख्या	फसल का नाम	बुआई का रकवा (डिसमिल में)
1.	धान	
2.	मक्का	
3.	सोयाबीन	
	बुआई का कुल रकवा	

नोट:- मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरण अंकित की जाय।

यह भूमि ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद्में अवस्थित है।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है। साथ ही, यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

दिनांक-

हस्ताक्षर /अंगुठे का निशान

किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य की अनुशंसा :-

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ।

किसान सलाहकार/वार्ड		हस्ताक्षर एवं मुहर
सदस्य का नाम		
पद :-		
मोबाइल नंबर -		
आधार संख्या -		